न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

विविध शिकायत वाद संख्या–137/2017–18

राम ईश्वर सिंह बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
03/07/18	**आदेश** इस वाद की कार्रवाई जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 766 दिनांक 16.02.2018 से प्राप्त श्री राम ईश्वर सिंह, ग्राम–सिमरा, पोस्ट–परसा, जिला–पटना के परिवाद अनन्य परिवाद सं0–428110112021801635 के आधार पर आरम्भ की गयी थी। आवेदक के परिवाद पत्र में कहा गया है कि दीन दयाल सिंह एवं चन्द्रगुप्त सिंह, पिता स्व0 भोला सिंह के नाम से कायम जमाबंदी सं0 625 एंव 626 को रद्द कर उक्त भूखण्ड को आवेदक के नाम पर अंकित कर दिया जाय। प्रश्नगत भूखण्ड को उनके या उनके पूर्वज के द्वारा बेची नहीं गयी है। आवेदन के साथ विभिन्न खाता, खेसरा के सर्वे खतियान की छाया–प्रति संलग्न है। इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात आवेदक को नोटिस भेजी गयी, ताकि वे उपस्थित होकर साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष न्यायालय में रख सके। अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर के पत्रांक 617 दिनांक 27.03.2018 से नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ कि आवेदक उस पते पर नहीं रहते है। तत्पश्चात् आवेदक के दिये गये पते पर निबंधित नोटिस भेजी गयी, परन्तु वह भी इस सूचना के साथ वापस हो गयी कि प्राप्तकर्ता इस पते पर नहीं रहते हैं। सुनवाई हेतु निर्धारित किसी भी तिथि को आवेदक इस न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु कभी उपस्थित नहीं हुए। आवेदक के द्वारा अपने परिवाद पत्र में जिन लोगों के नाम से जमाबंदी कायम होने का आरोप लगाया गया है, उनका पता अंकित नहीं है, जिसके आधार पर उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत की जाती। उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में वाद की कार्यवाही चलाना संभव नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित।** 3/7/18 (वज़ैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना 3/7/18 (वज़ैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता, पटना	